भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1371

(जिसका उत्तर सोमवार,11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण,1945 (शक) को दिया जाना है)

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ऋण

1371. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री धर्मेन्द्र कश्यप:
श्री राजेंद्र अग्रवाल:
श्री भोला सिंह:
डॉ. जयंत कुमार राय:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा भारत सरकार को दिए गए 400 मिलियन अमरीकी डॉलर के नीति-आधारित ऋण का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस ऋण का उपयोग देश में सेवाओं और अवसंरचना में सुधार के लिए किया जाएगा;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों और परियोजनाओं में विशेष रूप से निधियों के उपयोग के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है; और
(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को लागू करने हेतु सहायता करने के लिए सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उपकार्यक्रम 2 के तहत एशियाई विकास बैंकों (एडीबी) द्वारा 400 मिलियन अमरीकी डॉलर नीति-आधारित ऋण (पीबीएल) दिया गया है।

(ख) और (ग) यह राशि पीएमएवाई-यू योजना के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को वार्षिक बजटीय आवंटन के माध्यम से प्रदान की जानी है।

(घ) और (ङ): पीएमएवाई-यू के तहत, पात्र शहरी परिवारों/गृहस्थों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसम में पक्के घर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत, 118.63 लाख घरों के निर्माण के लिए 30,439 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृत मकानों में 2.00 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता के साथ 8.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

स्वीकृत घरों में से, कुल 113.42 लाख घरों का निर्माण कार्य चल रहा है; इनमें से 78.27 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। इस योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए अब तक 1.54 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

पीएमएवाई-यू, जो पहले दिनांक 31.03.2022 तक थी, को उसके बाद दिनांक 31.12.2024 तक (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) वर्टिकल को छोड़कर) बढ़ा दिया गया है ताकि फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना सभी स्वीकृत घरों को पूरा किया जा सके। विस्तारित योजना अवधि के भीतर सभी स्वीकृत मकानों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जा रही हैं।

****